समाहरणालय जमुई

(नजारत शाखा)

जिला अतिथि गृह के संचालन के लिए आउटसोर्सिंग हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 14211, दिनांक 27.12.2011 तथा उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7751 दिनांक 10.08.2010 के आलोक में जिला अतिथि गृह, जमुई के आउटसोर्सिग के माध्यम से सुचारू रूप से संचालन हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग बंद लिफाफे में दिनांक 15.08. 2017 के 1.00 बजे अप0 तक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 15.08.2017 को ही 4.00 बजे अप0 में अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा की शर्त्तें

1. आंतरिक साफ–सफाई जिसके अन्तर्गत कमरों एवं पूरे परिसर की सफाई शामिल होगी। इस कार्य के लिए कम से कम 3 (तीन) मजदूर रखना होगा। माली, रिसेप्सनिस्ट, विद्युत मिस्त्री, कुक के रूप में अलग से अनुभवी व्यक्ति को रखना होगा।
2. जिला अतिथि गृह के लॉन, बगीचा आदि की सफाई एवं रख–रखाव, बगीचा में फूल एवं घास आदि का रख–रखाव एवं पार्क का नियमित कटिंग इत्यादि।
3. हाउस कीपिंग से संबंधित निम्नलिखित कार्य शामिल होगें:–

   क. जिला अतिथि गृह मे लगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युतीय उपकरणों का रख–रखाव तथा सभी कमरों में ए0सी0/टी0वी0/गिजर/डी0जी0(जेनरेटर) सेट का रख–रखाव ।

   ख. अतिथि गृह के फर्नीचर आदि की मरम्मति एवं रख–रखाव।

   ग. अतिथि गृह में ठहरे हुए अतिथियों के लिए प्रसाधन की वस्तुएँ यथा–साबुन, तेल, शैम्पू, आदि की आपूर्त्ति।

   घ. बेड़शीट, मच्छरदानी, पर्दा, तकिया इत्यादि की आपूर्त्ति जिला नजारत शाखा, जमुई द्वारा की जायेगी। जिसकी साफ–सफाई एवं घुलाई का कार्य कराना होगा।
4. निर्बाध विद्युत की व्यवस्था हेतु सरकारी जेनरेटर में ईंधन की आपूर्त्ति एवं मैनेजमेन्ट वास्तिविक व्यय के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
5. अतिथियों के लिए जिला क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर पर चाय, नास्ता एवं भोजन आदि की व्यवस्था करना. एवं भोजन पकाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना। कुक फुल टाईम रखना अनिवार्य होगा।
6. उपर्युक्त कार्यो के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग मुहर बंद लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा। तकनीकी लिफाफे में निम्न कागजात संलग्न किया जाना आवश्यक होगा–

   क. अग्रधन के रूप में 20000.00 (बीस हजार रू0 मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, जमुई के पदनाम से मूल में संलग्न करना आवश्यक होगा।

   ख. निविदादाता के संस्था या फर्म का अद्यतन आयकर रिटर्न, आयकर से संबंधित पैन कार्ड एवं सेवाकर निबंधन से संबंधी प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित दण्डाधिकारी अथवा नोटरी) संलग्न कना आवश्यक होगा। संस्था या फर्म का उद्योग विभाग/श्रम विभाग या निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय का निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा। संबंधित संस्था/व्यक्ति का वार्षिक टर्न ओवर/स्वच्छता अंकित करना हेाग।

   ग .निविदाता को किसी संस्थान/प्रतिष्ठान में कैटरिंग/हाउसकिपिंग का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा।

जिला अतिथि गृह में आपके कार्यो का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

वित्तीय निविदा अलग लिफाफे में निम्न प्रकार रहेगी –

1. हाउस किपींग, साफ–सफाई, इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य उपकरणों के रख–रखाव इत्यादि के संबंध में, वर्दी में सेवा देने वाले कर्मियों की संख्या एवं उन्हें मासिक भुगतान का ब्यौरा सभी करों सहित विहित प्रपत्र में संलग्न करना होगा–

<u>विहित प्रपत्र</u>

क्र0	कार्य का विवरण	दर (प्रतिमाह) रू0 में	अभ्युक्ति
01	Proposed Manpower (Sweeper, Mali, Cook, Cook Helper, Waiter, Supervisor, Washer man etc.) कर्मियों की संख्या एवं भुगतेय राशि–श्रेणीवार		
02	Proposed Material Price (House Keeping Material, Mali items, Guest Toiletry Expenses, Washing etc.)		
03	Proposed General Maintains (Electricity, Furniture, General Maintains with equipment.)		
	Total		

वित्तीय लिफाफा में उपर्युक्त विहित प्रपत्र में उपरोक्त सेवाएँ देने के एवज में मासिक राशि Quote करनी होगी।

2 किसी सरकारी संस्था/गैर सरकारी निबंधित संस्था से संबंधित कार्य (कैटरिंग एवं साफ–सफाई) में एक वर्ष का अनुभव प्रमाण--पत्र देना होगा।

3 अतिथि गृह में भोजन, चाय आदि से होने वाली आय संचालक संस्था को दी जाएगी।

4 जिला प्रशासन की ओर से केयर टेकर प्रतिनियुक्त किया जायेगा, जो संचालन व्यवस्था की निगरानी करेगा।

5 अतिथि गृह कमरों का आरक्षण पूर्वत जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। किराये से प्राप्त राशि सरकारी खजानों में जमा की जाएगी।

6 किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। निविदा स्वीकृत होने पर एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

7 सामग्री की आपूर्त्ति निर्धारित मापदंड/गुणवत्ता, मात्रा एवं दर के अनुरूप करनी होगी अन्यथा समानुपातिक रूप से विपत्र से कटौती करते हुए भुगतान की जायेगी।

8 न्युनतम मासिक दर वाले निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने तथा आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर आउटसोर्सिग के माध्यम से जिला अतिथि गृह, जमुई को सूचारू रूप से संचालन का कार्य प्रारम्भ कर देना होगा। निविदादाता के द्वारा अपने कर्मियों को यूनिफार्म में रखना अनिवार्य होगा। यूनिफार्म में नहीं पाए जाने पर मासिक विपत्र से समुचित राशि की कटौति कर ली जाएगी।

विशेष जानकारी के लिए वेबसाईट www.jamui.bih.nic.in पर देखा जा सकता है तथा किसी भी कार्य दिवस में नजारत उपसमाहर्त्ता, जमुई से सम्पर्क किया जा सकता है।

डॉ0 कौशल किशोर, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी, जमुई।

NDC
Jamui